बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

आ0सं0: यो0स्था01/3–11/2021 /यो0वि0,पटना,दिनांक मार्च, 2025

अधिसूचना

श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पदस्थापन की अवधि में बरती गई अनियमिमता तथा सरकार/विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए विभाग द्वारा आरोप–पत्र का गठन करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. विभागीय कार्रवाई के नियमानुकुल संचालन हेतु श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन संयुक्त सचिव सम्प्रति अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री तिलकेश्वर झा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, सम्प्रति अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इनके विरूद्ध विभाग द्वारा गठित आरोप–पत्र में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापन की अवधि में बरती गई अनियमितता के लिए कुल 03 आरोप गठित किए गए।

3. विभागीय कार्यवाही संचालन अवधि के दौरान श्री चौधरी दिनांक 31.08.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत हो गए। फलतः इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या 783 दिनांक 08.02.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

4. श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का नियमानुकूल संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभागीय यू0ओ0आई0 संख्या–578 (यो0) दिनांक 24.05.2023 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया।

5. प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विभागीय पत्रांक 4133 दिनांक 08.09.2023 द्वारा श्री चौधरी को एक पक्ष के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया।

6. श्री चौधरी के द्वारा अपना लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उन्हीं तथ्यों का उल्लेख/दोहराव किया गया जिसे उनके द्वारा स्पष्टीकरण में किया गया था।

तदैव अनुशासनिक प्रधिकार के द्वारा इनके विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में वर्णित आरोपों, साक्ष्यों तथा संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा के उपरांत इनके द्वारा पूर्व पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता की नियुक्ति करने के संबंध में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत दण्ड के रूप में इनके उपादान से ₹51,762 (इक्यावन हजार सात सौ बासठ रूपये) की कटौती करते हुए इनके सेवानिवृति के उपरांत प्रदान किए जाने वाले पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि 1 (एक) वर्ष तक कटौती किए जाने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसपर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. दण्ड अधिरोपन के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3418 दिनांक 25.06.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। आयोग ने अपना परामर्श पत्रांक 4839 दिनांक 06.03.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जिसमें विभाग के द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर अपनी सहमति प्रदान की है।

8. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–783 दिनांक 08.02.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में पूर्व पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता की नियुक्ति करने के संबंध में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) एवं 139 के अंतर्गत सेवानिवृति के उपरांत प्रदान किए जाने वाले उपादान से 51,762/–(इक्यावन हजार सात सौ बासठ रूपये) की कटौती एवं पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि 1 (एक) वर्ष तक कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रविश किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01/3–11/2021 /यो0वि0,पटना,दिनांक मार्च, 2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01/3–11/2021 /यो0वि0,पटना,दिनांक मार्च, 2025

प्रतिलिपिः वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01/3–11/2021 /यो0वि0,पटना,दिनांक मार्च, 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/ उप निदेशक, सांख्यिकी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर /श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, ग्राम–कुंभी, पो0–खालसा ढिबरी, थाना–वारिसलीगंज, जिला–नवादा, पिन– 805104, मोबाईल न0–9955649719 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था01/3–11/2021 - 1742 /यो0वि0,पटना,दिनांक 25 मार्च, 2025

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.3.25

सरकार के संयुक्त सचिव